BCCI BULLETIN

Vol. 53 | MAY 2022 | No. 5

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल का कटिहार एवं पूर्णिया का दौरा – एक रिपोर्ट

दीप प्रज्जवलित कर आम सभा का शुभारंभ करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में हैं माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के
नव निर्वाचित अध्यक्ष-सह-माननीय विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल, माननीय सांसद, कटिहार श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 14 मई, 2022 को विशेष आमंत्रण पर नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कटिहार पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य थे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

कटिहार जंक्शन पर नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के श्री अनिल चमड़िया, श्री गणेश चौरसिया, उपाध्यक्ष श्री दीपक बंसल, कोषाध्यक्ष श्री श्रवण मोर, कार्यकारिणी सदस्य, श्री गणेश डोकानियाँ सहित कई सदस्यों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कटिहार के नव-निर्वाचित अध्यक्ष-सह-माननीय विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

तत्पश्चात् प्रतिनिधिमंडल पूर्णिया पहुँचा। पूर्णिया में प्रतिनिधिमंडल ने पूजा फ्लौर मिल के मालिक श्री आशीष जी के साथ मिल का अवलोकन किया। इसके बाद पूर्णियाँ अवस्थित बिजेन्द्र पब्लिक स्कूल का अवलोकन किया। स्कूल के संचालक श्री भानू जी अवलोकन के समय साथ में थे।

उसी दिन पूर्वाहन् में प्रतिनिधिमंडल दी पूर्णियाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित **''बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं दी पूर्णियाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक''** में सम्मिलित हुआ। दी पूर्णियाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र संचेती, महामंत्री श्री आदित्य केजरीवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण उक्त बैठक में उपस्थित थे।

पूर्णियाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र संचेती एवं महामंत्री श्री आदित्य केजरीवाल ने पूर्णियाँ के व्यावसायिक समस्याओं की ओर प्रतिनिधिमंडल का ध्यान आकृष्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के पूर्णियाँ आगमन से एवं हमारी समस्याओं को सुनने से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने पूर्णियाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उठाए गये व्यावसायिक समस्याओं के निदान हेतु हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया।

संयुक्त बैठक में बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को अंग वस्त्रम् भेंट कर सम्मानित किया गया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने दी पूर्णियाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र संचेती एवं महामंत्री श्री आदित्य केजरीवाल को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेमेन्टों भेंटकर सम्मानित किया।

उक्त बैठक के पश्चात् प्रतिनिधिमंडल **नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 14 मई 2022 को संध्या 5 बजे से आयोजित 47वीं वार्षिक आमसभा** में सम्मिलित हुआ।

आम सभा में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कटिहार के माननीय सांसद दुलाल चन्द्र गोस्वामी, माननीय पार्षद-सह-चैम्बर के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल, माननीय विधायक बरारी श्री विजय सिंह, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री निखिल

शेष पृष्ठ 3 पर

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 12 मई, 2022 को दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में **''बिहार इन्वेस्टर्स मीट''** का आयोजन किया गया। इस मीट में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद ने चैम्बर का प्रतिनिधित्व किया। इस मीट में कई दिग्गज कम्पनियों ने शिरकत की और कई बड़े निवेशकों ने बिहार में उद्योग स्थापित करने की इच्छा भी जताई है।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हर सम्भव सहयोग का आश्वासन निवेशकों को दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कई निवेशक बिहार में उद्योग स्थापित करेंगे। ऐसा होने पर बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

एक तरफ सरकार जहाँ निवेशकों को आकर्षित करने और हर सम्भव सहायता प्रदान करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर बिजली कम्पनियों ने बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी हेतु बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) को आवेदन दिया है। आयोग ने पिटिशन स्वीकार भी कर लिया है। अगर बिजली दरों में बढ़ोत्तरी होती है, तो वह उद्योग–व्यवसाय के लिए एक अलग समस्या होगी।

इसके अतिरिक्त छोटे–बड़े उद्योग लगाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने NOC लेने और नवीकरण शुल्क भी बढ़ा दिया है। अब NOC के लिए 2500 से 50000 रूपये तक और सार्टिफिकेट रिन्युवल कराने के लिए 6000 से 50000 रूपये तक की अधिक राशि देनी होगी क्योंकि पहले से चल रहे उद्योगों के लिए NOC अनिवार्य कर दिया गया है ।जितना बड़ा निवेश, उसी हिसाब से NOC का चार्ज लगेगा। **उद्योग व्यवसाय करने वाले काफी विषम परिस्थिति में अपना उद्योग, व्यवसाय चला रहे हैं। बिहार सरकार को अन्य प्रकार से राहत देनी चाहिए।**

केन्द्र सरकार ने Excise Duty घटा कर पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में कमी की है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी आयी है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कई राज्यों ने अपने यहाँ पेट्रोल, डीजल पर वैट में कमी की है जिससे उन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ज्यादा कमी आयी है। **बिहार सरकार को भी इस तरह का निर्णय लेना चाहिए ताकि यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कमी आ सके।**

उद्यमियों की समस्याओं के निपटारे के लिए सरकार को एक उच्च शक्ति शिकायत निवारण कोषांग बनाने की आवश्यकता है जिसमें आने वाली समस्याओं की साप्ताहिक समीक्षा हो और उसके निपटारे के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान उद्यमी के पास नहीं होता है। सरकार और प्रशासन के पास उन समस्याओं का समाधान सहज होता है। ऐसी स्थिति में उद्यमी तनाव ग्रस्त रहते हैं, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिसका औद्योगिक वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

इधर राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए और बियाडा द्वारा बन्द पड़ी इकाइयों को आबंटित की गयी जमीन को रद्द किये जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने सभी संबंधित औद्योगिक इकाइयों को कहा है कि वह दो सप्ताह में इस मामले में अपनी अंडरटेकिंग दें। न्यायालय ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को बियाडा द्वारा जिस शर्त पर जमीन आबंटित की गई है, उसके तहत् याचिका–कर्ताओं को तीन महीने के भीतर अपनी बन्द इकाई का ट्रायल रन करना होगा। उसके बाद छः महीने के भीतर 50 प्रतिशत तक वाणिज्यक उत्पादन सुनिश्चित करना होगा और एक वर्ष के भीतर न्यूनतम 75 प्रतिशत तक वाणिज्यिक उत्पादन सुनिश्चित करना होगा।

कोर्ट ने दूसरी शर्त के रूप में कहा कि बियाडा को जुर्माना और ब्याज के भुगतान पर जोर न देने के लिए राजी किया जा सकता है लेकिन यदि कोई पुराना रद्दीकरण है तो याचिकाकर्ताओं को भूमि के वर्त्तमान मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि रद्दीकरण हाल के दिनों का है तो हम आबंटन रद्द करने को वापस लेने के लिए बियाडा को राजी करेंगे। तीसरी शर्त के अनुरूप याचिकाकर्त्ताओं को सभी श्रम कानूनों का अनुपालन करना पड़ सकता है और चौथी शर्त्त यह रखी गयी है कि यदि एक श्रेणी से दूसरी अनुमेय श्रेणी में उपयोगकर्ता का परिवर्तन होता है, तो बियाडा की सूची के अनुसार बियाडा के अधिकारी उस सम्पति की अनुमति देंगे। यदि गतिविधि अनुमेय श्रेणी से बाहर आती है, तो याचिकाकर्ता सार्थक संवाद और निर्णय के लिए बियाडा से सम्पर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि बियाडा के आदेश से व्यथित होने पर औद्योगिक इकाई इस न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में 14 मई, 2022 को कटिहार एवं पूर्णिया के दौरे पर गया था। पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बिहार चैम्बर की एक संयुक्त बैठक हुई। उसी दिन संध्या में प्रतिनिधिमंडल नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के 47वीं वार्षिक आम सभा में सम्मिलित हुआ। प्रतिनिधिमंडल में मेरे अलावे उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल सम्मिलित थे। दोनों बैठकें अच्छी रही। इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटिन में माननीय सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित है।

दिनांक 17 मई, 2022 को पटना स्मार्ट सिटी लि0 के **''शहर स्तरीय परामर्शदात्री फोरम (City Level Advisory Forum)** की बैठक हुई। इस बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय शामिल हुए।

दिनांक 24 मई, 2022 को भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी वैंकूवर (कनाडा) में भारत के काउंसिल जेनरल श्री मनीष, उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत श्री मनीष प्रभात एवं एसटोनियॉ के टालिन में भारत के राजदूत श्री अजनीश कुमार अपने बिहार परिभ्रमण के दौरे के क्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से चैम्बर प्रांगण में मिले। इस अवसर पर राजदूतों ने तीनों देशों में व्यवसाय की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए बिहार के व्यवसायियों को लाभ उठाने एवं निर्यात को बढ़ावा देने का अनुरोध किया।

दिनांक 26 मई, 2022 को सम्पन्न मंत्री परिषद् की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) 2022 के गठन की मंजूरी स्वागत योग्य है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के प्रति हम आभारी हैं।

इस नीति के आने से वस्त्र, पोशाक, रेशम विद्युत चरखा, चमड़ा सभी तरह के जूते तथा सम्बद्ध उद्योगों के समग्र प्रक्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेशक प्रोत्साहित होंगे। इस नयी नीति में निवेशकों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त इकाइयों को पावर टैरिफ, रोजगार अनुदान, पूंजीगत अनुदान, फ्रेट सब्सिडी एवं पेटेंट सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, जो काफी प्रशंसनीय है।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

अध्यक्ष

माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में हैं नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष-सह-माननीय विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल।

आम सभा में मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद। उनकी बायीं ओर क्रमशः नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष-सह-माननीय विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के निवर्तमान अध्यक्ष श्री विमल सिंह बेंगानी। उनकी दायीं ओर क्रमशः माननीय सांसद, कटिहार श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी एवं कैट के चेयरमैन श्री कमल नोपानी।

आम सभा में नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बुलेटिन का विमोचन करते माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद। उनके बायीं ओर नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष-सह-माननीय विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल तथा दायीं ओर माननीय सांसद, कटिहार श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी।

नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष-सह-माननीय विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मेमेंटो भेंट कर सम्मानित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद एवं माननीय सांसद, कटिहार श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी।

नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कटिहार के नव निर्वाचित अधयक्ष-सह-माननीय विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल के कार्यालय में मुलाकात करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

पूर्णिया के पूजा फ्लौर मिल का अवलोकन करता बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल। साथ में पूजा फ्लौर मिल के मालिक श्री आशीष जी।

पूर्णिया के बिजेन्द्र पब्लिक स्कूल का अवलोकन करता बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल। साथ में स्कूल के संचालक श्री भानू जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं दी पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक संयुक्त बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित करते दी पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र संचेती, महामंत्री श्री आदित्य केजरीवाल सहित अन्य पदाधिकारीगण।

बैठक को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

दी पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को बिहार चैम्बर का मेमेंटो भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

कुमार चौधरी, पूर्व विधान पार्षद श्री राजवंशी सिंह भी उपस्थित थे।

आम सभा की अध्यक्षता निर्वतमान अध्यक्ष श्री विमल सिंह बेंगानी जी ने की जबकि आम सभा का संचालन श्री अनिल चमड़िया जी ने किया। आम सभा में मंचासीन अतिथियों का अंगवस्त्र एवं बूके से स्वागत् एवं सम्मान नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर के पदाधिकारियों ने किया।

आम सभा का शुभारम्भ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय सांसद श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर हुआ।

नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 13 प्रस्ताव रखे गये।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से उठाए गये सभी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने बताया कि कटिहार में जल-जमाव की समस्या को दूर करने हेतु 220 करोड़ की लागत से तीन फेज में होने वाले काम के लिए निविदा निकाली जा चुकी है।

माननीय सांसद श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि नव-निर्मित जलमीनारों से आयरण मुक्त जल कटिहार को मिलेगा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज की आम सभा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद ने जो आश्वासन दिये हैं उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से तथा मैं अपनी ओर से नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा हर सम्भव सहयोग का आश्वासन देता हूँ।

आमसभा को सम्बोधित करते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने निवर्तमान अध्यक्ष श्री बिमल सिंह बेंगानी, सशक्त नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी सहित सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि कटिहार से एवं आपके चैम्बर से बहुत से दिग्गज व्यक्ति सांसद, विधायक एवं विधान पाषर्द हुए हैं। माननीय तारकिशोर प्रसाद जी भी आपके चैम्बर से ही विधायक बने और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आपने आज जिन व्यावसायिक मुद्दों/समस्याओं को उठाया है उन समस्याओं के प्रति माननीय सांसद एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समस्याओं का बहुत जल्द निराकरण होगा।

आज की आम सभा में नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी सदस्य एवं कटिहार के व्यवसायी बन्धु आये हैं उनके प्रति मैं अपनी ओर से तथा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

आम सभा में नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बुलेटीन का विमोचन किया गया। उक्त कार्यक्रम में बिहार चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय उप मुख्यमंत्री, सांसद, नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को अंगवस्त्रम् भेंट कर सम्मानित किया और चैम्बर के नव-निर्वाचित अधयक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित किया।

आम सभा की समाप्ति के पश्चात् चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने पटना हेतु प्रस्थान किया।

विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार का तेजी से हो सकेगा विकास : नीतीश

• सूबे में जो विकास हुआ है, जितने एलिवेटेड रोड, ब्रिज और सड़के बनी हैं उनकी बाहर से आया व्यक्ति भी करता है प्रशंसा • इतना काम करने के बावजूद अगर पूरे देश को ओवर ऑल देखा जाये तो बिहार पीछे है ही, इसमें नहीं है कोई शक • पहले यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब थी। आज इन क्षेत्रों में हुआ है बहुत बड़ा परिवर्तन

बिहार को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आयी थी तो उसका जवाब हमलोगों ने भेज दिया था। बिहार का काफी तेजी से विकास हो रहा है। हमलोगों के इतना काम करने के बावजूद अगर आप पूरे देश को ओवर ऑल देखियेगा तो बिहार पीछे है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार का क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी काफी ज्यादा है। प्रजनन दर को घटाने के लिए हमलोग महिलाओं को पढ़ाने में लगे हैं। बिहार में काफी ग्रोथ हुआ है। आजकल बाहर से आने वाला व्यक्ति बिहार आकर देखता है कि बिहार में कितनी एलिवेटेड रोड, ब्रिज एवं सड़के बनी हुई हैं। इन सब चीजों को देखकर सभी लोग इसकी प्रशंसा करते है। इसको लेकर हमलोग काफी समय से यह मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 10.5.2022)

दिल्ली में आयोजित बिहार इन्वेस्टर्स मीट-2022 में जुटे देशभर के 170 उद्यमी

उद्योग : बिहार में कई बड़ी कंपनियाँ करेंगी निवेश

- **निवेशकों के लिए पहली पसंद बनेगा बिहार : तारकिशोर**
- **बिहार में उद्योग क्षेत्र में अपार संभावनाएं : शाहनवाज**

बिहार में कई बड़ी और नामचीन कंपनियाँ पूंजीनिवेश करेंगी। दिल्ली में 12.5.2022 को हुई बिहार इन्वेस्टर्स मीट-2022 में इन कंपनियों की ओर से इसका ऐलान किया गया।

देशभर से 30 बड़ी सहित 170 कंपनियों ने मीट में शिरकत की। अडानी, लुलु ग्रुप, आईटीसी, एचयूएल, कोका कोला, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, अमूल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पतंजलि, ऊषा मार्टिन, होंडा, एलएंडटी, अरविन्द्र मिल्स, टाटा ब्लूस्कोप, केईआई इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, अंबुजा समेत देश की कई

पटना स्मार्ट सिटी लि. के 'शहर स्तरीय परामर्शदात्री फोरम' की बैठक में चैम्बर हुआ शामिल

दिनांक 17 मई 2022 को पटना स्मार्ट सिटी लि. के 'शहर स्तरीय परामर्शदात्री फोरम' (City Level Advisory Forum) की बैठक प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में नगर निगम के सभाकक्ष, मौर्यालोक में हुई।

बैठक में माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू एवं माननीया उप-महापौर श्रीमती रजनी देवी भी उपस्थित थी। बैठक में बिहार चैम्बर की ओर से चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय शामिल हुए।

बड़ी और नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मीट में शामिल होकर इसे सफल और ऐतिहासिक बनाया। इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया।

बिहार बदल गया है : उपमुख्यमंत्री ने मीट में आए देशभर के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब पूरी तरह बदल गया है। 2005 से लेकर 2022 तक का सफर बिहार के लिए बड़े बदलाव का सफर रहा है। 2004 में बिहार का बजट सिर्फ 25 हजार करोड़ का था। आज यह बढ़कर 2 लाख 37 हजार करोड़ का हो गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार शिद्दत से बिहार को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के उद्योग विभाग का दरवाजा तो उद्योग जगत के लिए खुला ही है, बिहार में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों के लिए सरकार के हर विभाग के भी द्वार खुले हैं। आप बेहिचक बिहार आएँ और उद्योग क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे बिहार में निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाएँ।

अंबुजा सीमेंट बिहार में 1200 करोड़ की इकाई लगाएगा : नीरज अखौरी

अंबुजा सीमेंट के सीईओ (बिहार निवासी) नीरज अखौरी ने इन्वेस्टर्स मीट में बिहार में 1200 करोड़ की इकाई लगाने की घोषणा की। यह इकाई बाढ़ में लगेगी। नीरज अखौरी होल्सिम इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। श्री अखौरी ने कहा, पहली बार मुझे यह मौका मिला है कि मैं अपनी मातृभूमि को 1200 करोड़ की इकाई समर्पित कर सकूँ। यह दोनों कंपनियाँ देश और प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में अग्रणी है। अंबुजा सीमेंट द्वारा पाँच मिलियन टन का मेगा प्रोजेक्ट बाढ़ में शुरू किया जाएगा। मेरा यकीन है कि बिहार के विकास एवं प्रगति में यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा।

इन्होंने भी किया निवेश का एलान : • **लुलु ग्रुप करेगा निवेश, शॉपिंग मॉल बनवाएगा :** दुबई से दिल्ली पहुँचे लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन और एमडी एमए यूसुफ अली ने ऐलान किया कि बिहार में लुलु ग्रुप फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करेगा। साथ ही एक शॉपिंग मॉल भी बनवाएगा • **आईटीसी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगा :** आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि आईटीसी बिहार में 100 साल से मौजूद है। इसका बिहार से गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता और मजबूत होगा। फिलहाल बिहार में आईटीसी के 9 उत्पादन प्लांट हैं। आने वाले दिनों में आईटीसी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को और बढ़ाएगा।

अडानी ग्रुप का प्रतिनिधिमंडल आएगा : अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक और एमडी प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार तेजी से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और अडानी ग्रुप की तरफ से बहुत जल्द एक प्रतिनिधिमंडल निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए बिहार जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.5.2022)

बिहार में उद्योग लगाना सबसे आसान, 7 दिन में सारा क्लीयरेंस - उद्योग मंत्री

प्रश्न : अदाणी, आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर, सभी फूड प्रोसेसिंग में ही निवेश कर रहे?

– हाँ, क्योंकि इस बार हमारा ज्यादा फोकस फूड प्रोसेसिंग ही था। हम जल्द ही मुंबई में इंन्वेस्टर्स मीट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा ज्यादा फोकस टेक्सटाइल पर होगा।

प्रश्न : आखिर ये बताने से हिचकते क्यों है कि कितने के निवेश प्रस्ताव आए?

– स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में 36 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिल्ली इन्वेसटर्स मीट से पहले ही मिल चुका है। हम तब तक किसी भी कंपनी के प्रस्ताव या वायदे को नहीं मान रहे, जब तक उसका प्रस्ताव एसआईपीबी को न मिल जाए। वैसे तो अकेले बरौनी में ही पेट्रो कैमिकल में 30 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हैं। हम बरौनी को बड़ोदा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है।

प्रश्न : कहा जाता है कि बिहार में उद्योग लगाना सबसे मुश्किल है?

– उद्योग लगाने में अगर कहीं सबसे आसान प्रक्रिया होगी तो वह बिहार में होगा। हमने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू कर दिया है। लाइसेंस से लेकर सभी चीजों के लिए क्लीयरेंस तक हम (उद्योग विभाग) एक हफ्ते में करके देंगे। 20 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर से ऊपर की जमीन ई ऑक्शन से ही मिलेगी। आपको अगर जमीन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलॉट की गई है और बाद में आप उसमें कुछ और बनाना चाहते हैं तो अब इसके लिए अनुमति जरूरी नहीं होगी।

चैम्बर द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर में मोटापा कम करने वाली मशीनों का ट्रायल शुरू

रक्त संचार बढ़ाने वाली मशीन एवं मोटापा कम करने वाली विभिन्न मशीनों का उपयोग करते क्रमशः उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री रंजीत प्रसाद सिंह, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री जे. पी. तोदी एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर में नयी आधुनिक मशीन Lipo-Slim, Body Correction, Vacuum Therapy, Cellulite Deep Heat Therapy, Crazy Fit एवं Laser Therapy का ट्रायल दिनांक 19 मई 2022 को चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी की उपस्थिति में शुरू हुआ। इस अवसर पर पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री रंजीत प्रसाद सिंह, श्री अजय गुप्ता, श्री जे. पी. तोदी, श्री अशोक कुमार एवं डॉ. रवि प्रकाश उपस्थित थे।

प्रश्न : तो बता क्यों नहीं रहे?

– प्रस्तावों को परिपक्व होने दीजिए। फिर धीरे-धीरे सारी चीजें खुद ब खुद सामने आ जाएँगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली इन्वेस्टर्स मीट में हमारी उम्मीद से बहुत अधिक निवेश के प्रस्ताव आए और हमें निवेश की भी पूरी उम्मीद है। इंन्वेस्टर्स मीट में 170 कंपनियाँ आई। इसमें अदाणी, आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर, लूलू बिहार में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। अदाणी मेगा फूड पार्क और लॉजिस्टिक, लूलू ग्रुप मीट प्रोसेसिंग, फूड और मॉल में। किसी सेक्टर में कोई निवेश करना चाहता है तो उसका स्वागत है।

प्रश्न : टेक्सटाइल और लेदर पालिसी तो काफी समय से अटकी है?

टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी फाइल को वित्त विभाग ने ओके कर दिया है। इससे बंगाल के चमड़ा उद्योग को हम बिहार लाने में सफल हो सकते हैं। किशनगंज में मेगा लेदर पार्क बनाना चाहते हैं। पांजीपाड़ा पहले से ही चमड़ा उद्योग का गढ़ है। उद्योग विभाग लेदर प्रोसेसिंग यूनिट हब बनाने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही इससे टेक्सटाइल के क्षेत्र में व्यापक निवेश और रोजगार की संभावना खड़ी होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 16.5.2022)

नए उद्यमियों को राहत, बियाडा की जमीन की कीमत 50 प्रतिशत तक होगी कम

उद्योग विभाग जल्द ही उद्यमियों को एक बड़ी राहत देने का एलान करेगा। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट आथरिटी (बियाडा) द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापित किए जाने को ले जमीन उपलब्ध कराया जाता है। उद्योग विभाग के पास यह फीडबैक था कि बियाडा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन की कीमत अधिक रहने की वजह से उद्यमी इसमें अपने को फिट नहीं पाते।

उच्च स्तर पर विमर्श के बाद यह तय हुआ कि बियाडा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन की कीमत अधिक रहने की वजह से उद्यमी इसमें अपने को फिर नहीं पाते। उच्च स्तर पर विमर्श के बाद यह तय हुआ कि बियाडा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन की कीमत को कम किया जाए। यह खबर है कि बियाडा के जमीन की कीमत 50 प्रतिशत तक सस्ती हो सकती है। यह अलग बात है कि राजधानी और इसके आसपास बियाडा के अधीन के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की उपलब्धता ही नहीं के बराबर है। वैसे उम्मीद है कि अगले छह महीने में कई वैसे उद्यमियों से जमीन वापस ली जा सकती है जिन्हें आवंटित जमीन पर उद्योग नहीं चल रहा।

चीनी मिलों की जमीन कुछ हद तक है उपलब्ध : बियाडा के पास चीनी मिलों की जमीन उद्यमियों के लिए कुछ हद तक उपलब्ध है। नवानगर चीनी मिल की 439.68 एकड, गुरारू चीनी मिल की 19.85 एकड़ वारसलिगंज चीनी मिल की 60.30 एकड़ व बिहटा चीनी मिल की 21.86 एकड़ जमीन उपलब्ध है।

बढ़ता बिहार उद्यम बिहार : 17.89 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर है सबसे अधिक पटना औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग विभाग इस दिशा में जल्द लेगा नीतिगत निर्णय

राहत वाली योजना का किसी दिन भी एलान : उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि यह सही है कि बियाडा की जमीन की कीमत कम करने की कवायद चल रही है। इस मुद्दे को देख रहे अधिकारी अपने काम को जल्द ही अंतिम रूप देंगे और सरकार एलान करेगी। बिहार में उद्यमियों के हित को ध्यान में रख सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है।

पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन सबसे अधिक महँगी : बियाडा द्वारा सूबे के जिन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराई जाती है उनमें पटना सबसे अधिक महँगा है। पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की कीमत 17.89 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। वैसे यह सर्किल रेट की तुलना में कम है। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया की समस्या यह है कि यहाँ आवंटन के लिए अब मात्र 0.24 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है। पटना से सटे फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में बियाडा ने जमीन की कीमत 3.39 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय कर रखी है।

यहाँ वर्तमान में मात्र 0.46 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है। इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बिहटा तथा ईपीआइपी, हाजीपुर में कुछ भी जमीन उपलब्ध नहीं है बियाडा के पास। **(साभार : दैनिक जागरण, 16.5.2022)**

'बिहार इन्वेस्टर्स मीट' में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि शामिल हुए

दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में दिनांक 12 मई 2022 को आयोजित "बिहार इन्वेस्टर्स मीट" में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकार प्रसाद ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति से होगा निवेश, सृजित होंगे रोजगार

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 की मंजूरी का किया स्वागत

राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए दिनांक 26.5.2022 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 के गठन की मंजूरी का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने स्वागत किया है। चैम्बर इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के प्रति आभार व्यक्त किया है। नीति को मंजूरी मिलने पर चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल, उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, संयोजक सुभाष कुमार पटवारी एवं ए. के. पी. सिन्हा, पूर्व महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य सुनील सराफ एवं अजय कुमार गुप्ता तथा वरीय सदस्य आशीष प्रसाद ने हर्ष व्यक्त करते हुए स्वागत किया। चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) के आने से वस्त्र, पोशाक, रेशम विद्युत चरखा, चमड़ा सभी तरह के जूते तथा सम्बद्ध उद्योगों के समग्र प्रक्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेशक भी प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि इस नई नीति में निवेशकों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्याहन नीति-2016 के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त इकाइयों को पावर टैरिफ, रोजगार अनुदान, पूंजीगत अनुदान, फ्रेट सब्सिडी एवं पेटेंट सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है जो प्रशंसनीय है। श्री अग्रवाल ने कहा कि विहारवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में भी मंत्री के रूप में रह चुके हैं और उन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थित टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छी तरह से पता है और उसकी स्थिति से पूर्णरूपेण अवगत भी हैं। उसका लाभ विहारवासियों को अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2021 में लाई गई बिहार की एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति सफल रही और इसके तहत निवेशकों ने निवेश के लिए अपना प्रस्ताव दिया है साथ ही प्रथम एथेनॉल की उत्पादन इकाई जो पूर्णिया में स्थित है, उसमें उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है। उसी प्रकार से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 में दी गयी रियायतों और प्रोत्साहनों से देश के अन्य प्रान्तों के निवेशक टेक्सटाइल उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल कंपनियों के आने से बड़ी संख्या में बिहार के लोग जो देश के विभिन्न प्रान्तों में कार्यरत टेक्सटाइल कंपनियों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं उन्हें अपने घर में रोजगार का अवसर मिलेगा। इस उद्योग में मशीन के माध्यम से होने वाले कार्यों के अतिरिक्त हाथों से भी कार्य होता है। इसलिए इस तरह के उद्योगों के आने से राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 27.5.2022)

- **पारदर्शी होगी व्यवस्था**
- **रेरा के चेयरमैन ने दिया समिति बनाने का सुझाव**

एक ही सॉफ्टेवयर से जुड़ेंगे राजस्व व भूमि सुधार, नगर विकास विभाग और पटना नगर निगम

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के पाँच साल पूरा होने के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें रेरा के साथ बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बी.ए.आई.) और कंफेडरेशन ऑफ भू-संपदा डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) शामिल हुई। इस मौके पर रेरा के चेयरमैन नवीन वर्मा ने कहा कि जुलाई-अगस्त तक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जिसमें नगर विकास विभाग, नगर निगम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक ही सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। जिससे जमीन, बिल्डिंग सहित अन्य जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। इसके साथ ही रेरा चेयरमैन नवीन वर्मा ने बिल्डिंग, जमीन से जुड़े समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी विभाग, प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित के लिए एक समिति गठन का सुझाव दिया। उन्होंने मौजूदा नियोजन क्षेत्र में नए क्षेत्रों को जोड़ने की आवश्यकता बताई।

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.5.2022)

पूर्णिया हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता साफ : तारकिशोर प्रसाद

सीमांचल में निवेशकों को सहूलियत के लिए पूर्णिया में हवाई अड्डा निर्माण के लिए भू-अर्जन संबंधी बाधा दूर हो गई है। इस पहल से हवाई अड्डा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा से संयुक्त परिचालन के लिए सिविल इनक्लेव एवं संपर्क पथ निर्माण हेतु चिह्नित 52 एकड़ में से लगभग 34 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मुफ्त हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार के इस निर्णय के उपरांत पूर्णिया हवाई अड्डा निर्माण की भू-अर्जन संबंधी बाधा के दूर हो जाने से अब निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। हवाई अड्डा बन जाने से पूर्णिया प्रमंडल सहित संपूर्ण सीमांचल क्षेत्र के लोगों को दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा करने में सुविधा होगी। निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा। जमीन अधिग्रहण की बाधा दूर होने के बाद पूर्णिया हवाई अड्डा पर अलग से सिविल इन्कलेव, कार्गो सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाना है। पूर्णिया के चुनापुर में बनने वाले हवाई अड्डा के निर्माण होने से कोसी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज सहित अन्य शहर के लोगों को दरभंगा, बागडोगरा और पटना के हवाई अड्डा तक नहीं जाना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यह दूरगामी निर्णय पूर्णिया प्रमंडल के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.5.2022)

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारीगण चैम्बर के पदाधिकारियों से मिले

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से संवाद करते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

अधिकारियों का स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ।

भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी वैंकूवर (कनाडा) में भारत के काउंसिल जनरल श्री मनीष, उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत श्री मनीष प्रभात एवं एसटोनिया के टालिन में भारत के राजदूत श्री अजनीश कुमार अपने बिहार परिभ्रमण के क्रम में दिनांक 24 मई 2022 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से चैम्बर प्रांगण में मिले। चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने सभी अधिकारियों का अंगवस्त्र से सम्मानित किया।

तीनो देशों के राजदूत ने उनके यहाँ व्यवसाय की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए बिहार के व्यवसायियों को इसका लाभ उठाने एवं निर्यात को बढ़ावा देने का अनुरोध किया।

बैठक में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री ए. के. पी. सिन्हा, पूर्व महामंत्री श्री पी. एन. पाण्डेय, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ एवं श्री अजय कुमार गुप्ता तथा वरीय सदस्य श्री आशीष प्रसाद उपस्थित थे।

सूबे में इथेनॉल उत्पादन शुरू

सीएम ने पूर्णिया में देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड संयंत्र का किया शुभारंभ

नीतीश ने किया मुआयना, कहा

• राज्य में पहली बार इथेनॉल का उत्पादन होना खुशी की बात • इससे किसानों को काफी लाभ होगा और रोजगार भी बढ़ेगा • सीमांचल के लोगों को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा • प्लांट में मक्का, गन्ना व चावल से होगा इथेनॉल का उत्पादन • पेट्रोल-डीजल में 20 प्रतिशत तक होगा इथेनॉल का उपयोग • 2007 से ही प्लांट खोलने के लिए किया जा रहा था काम • अन्य जगहों पर भी जल्द स्थापित किये जायेंगे इथेनॉल प्लांट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रील 2022 को पूर्णिया में 105 करोड़ रुपये की लागत से बने देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया। नीतीश ने यहाँ परोरा में केन्द्र और प्रदेश सरकार की इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 की मंजूरी मिलने के बाद पूर्णिया में देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया। इस प्लांट को ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने संयंत्र के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज यहाँ पहले इथेनॉल प्लांट की शुरूआत हो गयी है। यह बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार यहाँ इथेनॉल का उत्पादन शुरू हुआ है। वर्ष 2007 से इथेनॉल प्लांट के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमलोगों ने इसके लिए उस समय की केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। हमलोगों के पास उस समय कई प्रस्ताव भी आए थे। अब केन्द्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इथेनॉल कैसे बन रहा है इसकी यहाँ जानकारी मिली और मुझे यह देखकर काफी अच्छा लगा। मक्का, गन्ना, चावल से इसका उत्पादन होगा। यह भी देखा कि कैसे इथेनॉल, पेट्रोल और डीजल के साथ काम करेगा। नीतीश ने कहा कि पहले पेट्रोल-डीजल में इथेनॉल के उपयोग की सीमा 10 प्रतिशत तय की गयी थी लेकिन अब इसका उपयोग 20 प्रतिशत तक होगा। पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर इथेनॉल बन जाएगा तो इससे देश को काफी लाभ होगा। सीमांचल के लोगों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। राज्य में उद्योग का विस्तार हो रहा है। अन्य जगहों के लिए भी इथेनॉल संयंत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य में मक्का का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन सब बाहर चला जाता है। यहाँ इथेनॉल संयंत्र लगने से आसपास के किसानों को काफी लाभ होगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा।

इस अक्सर पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सांसद संतोष कुशवाहा, विद्यान पार्षद दिलीप जायसवाल, विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, विधायक विजय खेमका, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव उद्योग संदीप पौण्ड्रिक, पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया प्रक्षेत्र सुरेश प्रसाद चौधरी, जिलाधिकारी राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक दया शंकर, प्रबंध निदेशक इथेनॉल प्लांट परोरा अंचित वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, वरीय अधिकारी एवं इथेनॉल संयंत्र से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 1.5.2022)**

उद्योग सचिव ने पदाधिकारियों को दिया निर्देश, परियोजना शुरू करने को करेंगे प्रेरित

वादा कर भूलने वाले निवेशकों को तलाशेगी राज्य सरकार

• निवेशकों से पूछेंगे उद्योग लगाने में कहाँ आ रही है बाधा • लोन से लेकर एनओसी तक का होगा समाधान

ऐसे होगा समाधान : • सिंगल विंडो पोर्टल को पहले से अधिक प्रभावी बनाकर उद्योगपतियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र और रेगुलेटरी क्लीयरेंस दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी • जमीन की उपलब्धता बियाडा के माध्यम से कराने पर त्वरित गति से अमल किया जाएगा • फॉरेस्ट क्लीयरेंस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाली एनओसी की प्रक्रिया तेज होगी • बैंकों से लोन दिलाने को सरकार के स्तर से पहल की जाएगी। सरकारी विभागों की ओर से बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारियों के सामने इसे उठाया जाएगा • उद्योग नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए उद्योगपतियों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे

बिहार सरकार औद्योगिक निवेश का वादा कर भूलने वाले निवेशकों को तलाश करेगी। उन्हें औद्योगिक परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए प्रेरित करेगी। उनसे परियोजना को जमीन पर उतारने में आ रही बाधा के बारे उद्योग विभाग के अधिकारी विचार-विमर्श करेंगे। फिर उसके आधार पर उन बाधाओं को दूर करने के लिए अलग-अलग विभागों के माध्यम से पहल की जाएगी। उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देकर निवेश प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने हेतु निर्णायक पहल करने के लिए कहा गया है।

उद्योग विभाग का फोकस खासकर ऐसे निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने को लेकर है, जिन्हें राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है। जिन प्रस्ताव को स्टेज- 1 क्लीयरेंस मिल चुका है, उन्हें भी उद्योग नीति के हिसाब से सब्सिडी या इंसेंटिव दिलाने के लिए त्वरित गति से कदम उठाने की योजना बनाई गई है।

कॉल सेंटर समस्याओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा : निवेश प्रस्ताव की समीक्षा में यह सामने आया है कि विभिन्न प्रकार के रेगुलेटरी क्लीयरेंस और अनापत्ति प्रमाण-पत्र समय पर नहीं मिल पाने के कारण निवेश प्रक्रिया धीमी रहती है। इसके अलावा जमीन खरीदने या सरकारी विभागों से मिलने वाली सुविधा मसलन बिजली या पानी कनेक्शन में देरी से भी प्रक्रिया लंबित रहती है। स्टेज-1 क्लीयरेंस तक मिलने वाले प्रोत्साहनों को लेकर भी तरह -तरह की शिकायतें रहती हैं। इन सबके जल्द से जल्द समाधान के लिए उद्योग विभाग के अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेवारी दे दी गई है। उन्हें इस बारे में उच्चाधिकारियों को लगातार अपडेट कराने के लिए कहा गया है। जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को भी अपने-अपने जिलों के निवेश प्रस्ताव की प्रगति पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विभाग का कॉल सेंटर भी निवेश प्रस्ताव दे चुके उद्योगपतियों को लगातार फोन कर उनकी समस्याओ के बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.4.2022)**

भागलपुर या बांका में खुलेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क : उद्योग मंत्री

भागलपुर या बांका जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क खुलेगा। भागलपुर शहर में जमीन नहीं है। जगदीशपुर में जमीन की कीमत अधिक है। बांका जिले के रजौन व कटोरिया में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। जहाँ जमीन उपलब्ध हो जाएगा, वहीं मेगा टेक्सटाइल पार्क खुल जाएगा। उक्त बातें सूबे के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन में रेशम भवन में कही। उन्होंने कहा कि भागलपुर में जमीन नहीं मिलने के कारण यहाँ खुलने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क बेतिया चला गया। एक और मेगा टेक्सटाइल पार्क खुलना है। इसके लिए 19 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। भागलपुर या बांका में जहाँ भी जमीन उपलब्ध हो जाएगा, वहीं मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद कॉलेज के लिए डीपीआर तैयार हो रहा है। **(साभार : दैनिक जागरण, 26.4.2022)**

खामियों की पहचान को बनाएँ विशेषज्ञों के समूह

• सरकार को कौन सी सही नीति क्रियान्वित करनी चाहिए, इस बारे में भी दें सुझाव • सरकार ऐसा माहौल बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है ताकि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी उद्यमी बन सके • तीन दिवसीय वैश्विक पाटीदार कारोबार सम्मेलन-2022 का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबारी समुदाय से कहा कि वे बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए नीतिगत बदलावों के साथ ही मौजूदा खामियों की पहचान करने के बारे में सुझाव देने के लिए उद्यमियों और विशेषज्ञों के समूह बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार देश में एक ऐसा माहौल बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है ताकि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी उद्यमी बन सके।

यहाँ आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक पाटीदार कारोबार सम्मेलन-2022 का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस समाज के कारोबारियों से यह आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप 10-15 उद्यमियों के समूह बनाएँ, जिनमें युवा और अनुभवी दोनों हो। ये समूह उन क्षेत्रों की पहचान करें, जिसमें उन्हें लगता है कि वे कोई प्रभाव छोड़ सकते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन कर सकते हैं और कैसे उसके बाजार को विकसित किया जा सकता है। साथ ही वे खामियों को बताएँ और उन्हें देखते हुए सरकारी नीतियों में सुधार के उपाय सुझाएँ। उन्होंने कहा कि ऐसे समूहों में विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को शामिल किया जाना चाहिए।

मोदी ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र को ही लीजिए कि आखिर उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है... इस क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाइए। हर सप्ताह मुझे सूरत के हीरा उद्योग से जुड़े लोगों का एक प्रतिवेदन मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते, लिहाजा मुझे कुछ करना चाहिए। हमारी नीतियों में कहाँ खामियाँ हैं और प्राथमिकता (बैंकिंग क्षेत्र) को लेकर ऐसे सवाल क्यों सामने आते हैं। उन्होंने कहा, इसी तरीके से आप फिनटेक क्षेत्र को ले सकते हैं। वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर एक गहन अध्ययन कर उस विषय को लिया जा सकता है और खामियों को दूर किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों को भी लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में मौजूद कारोबारियों से कहा कि वे इस बारे में दस्तावेज तैयार करें कि सरकार को कौन सी सही नीति क्रियान्वित करनी चाहिए। आप इस बारे में प्रस्तुति दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि आपको मुझसे मिलना होगा तो मैं बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों के बारे में आपकी प्रस्तुति देखने के लिए आपके साथ बैठूंगा और अधिकारियों से भी कहूँगा कि वे भी इसे देखें। उन्होंने कहा कि प्रस्तुति के आधार पर सरकार नीतियों में बदलावों पर विचार करेगी ताकि कारोबार का विकास हो। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 30.4.2022)**

छोटे उद्यमी को आसान कर्ज दिलवाएगा प्रमाणीकरण

केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बेहतर और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट-जेडईडी) वाले उत्पाद तैयार करने की गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर एक प्रमाणन

योजना शुरू की है। केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इस प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया।

इसका मकसद इन इकाइयों को विनिर्माण से जुड़े मानकों को लागू कर गुणवत्ता में सुधार के साथ ऊर्जा उपयोग मामले में कुशल बनाना भी है। एमएसएमई मंत्रालय ने बयान में कहा कि जेडईडी प्रमाणन योजना गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन और लाभ बढ़ाने के साथ विनिर्माण के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करेगी।

इस योजना में कांस्य, रजत और स्वर्ण सहित प्रमाणन के तीन स्तर हैं। एमएसएमई किसी भी प्रमाणन स्तर के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें इसके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।

एमएसएमई को जेडईडी प्रमाणन व्यवस्था की लागत को लेकर 80 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। साथ ही उन एमएसएमई के लिए पाँच प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी होगी जो मंत्रालय के स्फूर्ति या सूक्ष्म और लघु उद्यम-संकुल विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का भी हिस्सा हैं।

80% सब्सिडी मिलेगी : • प्रमाणीकरण हासिल करने के लिए लघु छोटे और मध्यम उद्योगों का खास सब्सिडी मिलेगी • सब्सिडी राशि सूक्ष्म उद्यमों के लिए 80 प्रतिशत होगी • लघु एवं मझोली इकाइयों के लिए सब्सिडी क्रमशः 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होगी • महिला और एसटी-एससी को 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट • 50 मानकों पर तीन श्रेणियों में दिया जाएगा प्रमाणीकरण • विशेष प्रदर्शनियों के लिए हवाई किराये, माल भाडे, स्टॉल शुल्क में मिलेंगी खास रियायतें • सर्टिफाइड एमएसएमई को बैंक कर्ज में प्रोसेसिंग शुल्क, ब्याज दर और तरजीही कर्ज की सुविधा हासिल होगी **(साभार : हिन्दुस्तान, 30.4.2022)**

निजी संयंत्रों को पूरी क्षमता से करना होगा बिजली उत्पादन

आयातित कोयले से बिजली बनाने को लाइसेंस लेने के बावजूद विदेश से कोयला आयात करने में आनाकानी करने वाले निजी संयंत्रों को सरकार ने अब कानूनी तौर पर घेर लिया है। बिजली अधिनियम, 2003 के तहत एक अहम कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने इन कंपनियों के लिए हर स्थिति में अपने संयंत्र को चालू करने का निर्देश दिया है। बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह विशेष परिस्थितियों में किसी भी बिजली कंपनी को उत्पादन जारी रखने का निर्देश दे सकती है। वैसे अभी आयातित कोयला काफी महंगा है और सरकार के इस फैसले से बिजली की दरों में वृद्धि होगी लेकिन बिजली की उपलब्धता में सात से आठ हजार मेगावाट की वृद्धि होगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.5.2022)**

लीज होल्ड भूमि को फ्री-होल्ड करने की ऑनलाइन सेवा शुरू

बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा लीज पर आवंटित भू-संपदाओं को फ्री होल्ड करने की ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ हुआ। बोर्ड के अध्यक्ष सह विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने सेवा की शुरूआत करते हुए कहा कि इसके तहत आवंटी ऑनलाइन आवेदन भर कर वांछित राशि का भुगतान करते हुए नियत समय-सीमा के अंदर अपनी जमीन को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तित करा सकेंगे, पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना प्रमंडल तीन के श्रीकृष्णानगर क्षेत्र के लिए यह सेवा प्रारंभ की गयी है। एक महीने के अंदर अन्य प्रमंडल में सेवा का विस्तार किया जायेगा। आवेदन के दौरान संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 7.5.2022)**

सहकारी बैंक अब बेचेंगे निबंधन के लिए ई-स्टांप

राज्य के 125 निबंधन केन्द्रों में से 70 पर हो गई है व्यवस्था

जमीन या अन्य दस्तावेजों के निबंधन के लिए जरूरी ई स्टाम्प अब राज्य के सहकारी बैंक बेचेंगे। राज्य सरकार ने स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया से स्टाम्प बिक्री की जिम्मेवारी लेकर सहकारी बैंकों को दे दिया है। इन बैंकों ने अब तक दो तिहाई से ज्यादा निबंधन केन्द्रों पर अपना काम शुरू कर दिया है। जल्द शेष पर भी स्टाम्प की बिक्री इन बैंकों के हाथ में होगी।

राज्य में ई-स्टाम्प की बिक्री स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया करती थी। इसके एवज में उसे एक प्रतिशत बतौर कमीशन मिलता है। लेकिन स्टाम्प बिक्री में कई तरह की अनियमितता की शिकायत के बाद निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने उनसे यह जिम्मेवारी वापस लेकर सहकारी बैंकों को दे दिया है। फिलहाल स्टाम्प की खरीद स्टॉक होल्डिंग कंपना ही करेगी और लोगों में बेचने के लिए सहकारी बैंकों को देगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.5.2022)**

हर 5 साल में रेन्यूअल का शुल्क भी बढ़ा

उद्योग लगाना हुआ महंगा, पॉल्यूशन एनओसी के लिए 50 हजार रुपए तक अधिक लगेंगे

राज्य में छोटे-बड़े उद्योग लगाना महंगा हो गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उद्योग लगाने के लिए एनओसी लेने और रिन्यूअल शुल्क को बढ़ा दिया है। अब एनओसी के लिए 2500 से 50000 तक और सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने के लिए 6000 से 50 हजार रुपए तक अधिक राशि देनी पड़ेगी। क्योंकि पहले से चल रहे उद्योगों के लिए भी एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

जितना बड़ा निवेश, उसी हिसाब से एनओसी का चार्ज

पूंजी निवेश की सीमा	पहले एनओसी	अब एनओसी	रिन्यूअल	अब रिन्यूअल
1 से 25 लाख रु तक	रु. 2500	रु. 5000	रु. 9000	रु. 15000
2500001 से 5 करोड़	रु. 10000	रु. 15000	रु. 35000	रु. 45000
50000001 से 10 करोड़	रु. 25000	रु. 35000	रु. 60000	रु. 70000
100000001 से 50 करोड़	रु. 50000	रु. 75000	रु. 90000	रु. 100000
50 करोड़ रुपये से ऊपर	रु. 100000	रु. 150000	रु. 225000	रु. 275000

"उद्योग के लिए एनओसी लेने और पाँच साल बाद उसे रिन्यूअल कराने के लगाने वाले शुल्क को बढ़ाया गया है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।"

– दीपक कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(साभार : दैनिक भास्कर, 4.5.2022)

अब उद्योगों के लिए खेती की जमीन लेना होगा आसान

खेती की जमीन पर उद्योग लगाने के रास्ते में आ रही एक बड़ी बाधा को सरकार दूर करने जा रही है। उद्योग विभाग विभाग की आपत्ति के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनुमंडल अधिकारियों को कहा है कि संपरिवर्तन शुल्क वसूली के मामले में अधिनियम के प्रविधानों का पालन करें। इस संदर्भ में भू अर्जन के निदेशक सुशील कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने पिछले 20 अप्रैल को एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा था। पत्र में शिकायत की गई थी कि उद्योग के लिए खेती की जमीन का उपयोग किया जाता है तो उस पर वाणिज्यिक दर पर संपरिवर्तन शुल्क लिया जा रहा है। यह राशि इतनी अधिक हो जाती है कि उद्योग के लिए खेती की जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। पत्र में अपेक्षा की गई थी कि भूमि सुधार विभाग संपरिवर्तन शुल्क निर्धारण के मामले में अनुमंडलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे। उन्हें कहे कि कृषि भूमि के संपरिवर्तन के समय निर्धारित शुल्क की वसूली करे। निदेशक सुशील कुमार के पत्र में बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम 2010 के प्रविधानों के अनुसार शुल्क वसूली का निर्देश दिया गया है।

क्यों हो रही परेशानी : निबंधन विभाग की ओर से शुल्क वसूलने के लिए जमीन का वर्गीकरण कई श्रेणियों में किया गया है। खेती की जमीन अगर मुख्य सड़क या बाजार के किनारे है तो उसे व्यवसायिक घोषित कर दिया गया है। इससे जमीन की कीमत बढ़ गई है। खेती की वही जमीन अगर कोई उद्यमी

खरीदता है तो उसे व्यावसायिक जमीन की दर से संपरिवर्तन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इससे उद्यमियों को परेशानी होती है।

क्या कहता है प्रविधान : बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम 2010 के मुताबिक खेती की जमीन का अगर किसी दूसरे प्रयोजन में उपयोग होता है तो अनुमंडलाधिकारी उस जमीन के मूल्य का 10 प्रतिशत संपरिवर्तन शुल्क लेंगे। अधिनियम में कृषि भूमि की परिभाषा दी गई है। इसमें खेती के अलावा उससे जुड़े क्रियाकलाप को भी कृषि भूमि माना गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.5.2022)

गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मकान या फ्लैट पर जीएसटी में जमीन की लागत का 100 फीसदी ले सकेंगे कटौती

फ्लैट या मकान खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब मकान पर जीएसटी चुकाने से पहले उसमें लगी जमीन की लागत पर 100 फीसदी कटौती ले सकेंगे। यह कटौती गाइडलाइन मूल्य के बराबर होगी।

ऐसे समझें फायदे का गणित

- जमीन – 6000/ वर्ग फुट
- कंस्ट्रक्शन – 2000/ वर्ग फुट
- कुल लागत – 8000/ वर्ग फुट

जीएसटी पहले

8000 (8000*33/100 = 6000 रुपए पर

जीएसटी अब

8000-6000 = 2000 रुपए पर

अब तक जमीन के नाम पर मिलने वाली कटौती प्रॉपर्टी मूल्य का 33 फीसदी फिक्स थी। कोर्ट ने करदाताओं को यह भी विकल्प दिया है कि वे सिर्फ कंस्ट्रक्शन लागत पर जीएसटी भर सकते हैं। जीएसटी नियमों के तहत वर्ष 2017 में एक अधिसूचना जारी कर मकान या फ्लैट पर जीएसटी में जमीन के मूल्य की कटौती को प्रॉपर्टी के मूल्य के 33% पर फिक्स कर दिया गया था। यानी भले ही जमीन की कीमत कितनी भी हो, कटौती मकान या फ्लैट के मूल्य के 33 फीसदी के बराबर होगी। जबकि कई शहरों में जमीन की लागत कुल कंस्ट्रक्शन के आधे से लेकर दो तिहाई तक हो जाती है। गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निशा एम ठाकोर ने इस अधिसूचना को ही असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जमीन की वैल्यू बहुत आसानी से मापी जा सकती है, ऐसे में टैम्स में कटौती के लिए अनिवार्य और फिक्स रेट तय कर देना भेदभावपूर्ण, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने जीएसटी अथॉरिटी को याचिकाकर्ता से वसूला गया अतिरिक्त टैक्स लौटाने का भी आदेश दिया। इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदारों को जीएसटी में खासी राहत मिलेगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.5.2022)

खपत सिर्फ 2 प्रतिशत ज्यादा, रिकॉर्ड जीएसटी की वजह नए नियम, कर चोरी पर सख्ती व महँगाई

अप्रैल महीने में 1.68 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। यह इससे पहले के अधिकतम कलेक्शन से 25 हजार करोड़ रुपए है। सामान्यत: जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर को खपत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जीएसटी की इस उछाल में खपत बढ़ने का योगदान कम और कंप्लायंस, इन्फोर्समेंट एवं महँगाई का योगदान अधिक है।

इस तरह समझें जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की वजह : नए नियम : • 1 अप्रैल से 20 करोड़ टर्नओवर पर ई-एनवायस अनिवार्य हुआ, पहले ये 50 करोड़ से अधिक पर था • अब विक्रेता के जीएसटी रिटर्न भरने के बाद ही क्रेता को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, अन्यथा नहीं • जीएसटीआर-1 और 3बी का मिलान शुरू, इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटीआर-2बी से मिलाया जा रहा।

कर चोरी पर सख्ती : • 2017-18 व 2018-19 के कई मामलों की स्क्रूटनी शुरू। 35 हजार से ज्यादा नोटिस जारी हो चुके • देश में सर्च-सीजर ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई • जीएसटी सिस्टम में आने वाले सभी डेटा को इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि गलत जानकारी न दी जा सके।

विंड फॉल : • आयात में अप्रत्याशित तेजी आईजीएसटी में उछाल दर्ज हुई। ये बने रहना मुश्किल • मार्च में थोक महंगाई 18 महीनों के उच्च पर थी। महँगाई बढ़ने से टैक्स का बेस बढ़ा और संग्रह भी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.5.2022)**

साख-जमा अनुपात बढ़ाने में छोटे बैंक आगे

लंबे समय बाद राज्य में बैंकों का साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है तो इसमें छोटे बैंकों (स्माल फायनांस बैंक) की बड़ी भूमिका है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इन छोटे बैंकों का साख-जमा अनुपात 389.38 प्रतिशत है। इसे रुपये के हिसाब से समझें तो इन बैंकों में पिछले वित्तीय वर्ष तक राज्य के नागरिकों ने 1131 करोड़ रुपये जमा किया। इस जमा राशि के विरुद्ध छोटे बैंकों ने 4405 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में वितरित किया। इनमें प्रमुख हैं: उत्कर्ष स्माल फाइनांस बैंक, जना स्माल फाइनांस बैंक और उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक।

राज्य के सहकारी बैंकों में छोटे बैंकों की तुलना में अधिक रुपये जमा हैं, जो 5881 करोड़ रुपये है। सहकारी बैंकों की ओर से कर्ज के रूप में दी गई राशि 25 सौ करोड़ रुपये है। यह जमा राशि का 42.51 प्रतिशत है। वाणिज्यिक बैंकों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं। कर्ज की राशि डेढ़ लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। वाणिज्यिक बैंकों का साख-जमा अनुपात 43.42 प्रतिशत है। यह छोटे बैंकों की तुलना में बेहद कम और सहकारी बैंकों से मामूली अधिक है। सबसे खराब साख-जमा अनुपात साउथ इंडियन बैंक का है। यह सिर्फ 10 प्रतिशत है।

कम कर्ज वाले जिले : कुल 13 जिलों में बैंकों का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। ये जिले हैं: मुंगेर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, अरवल, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, भागलपुर, सिवान, बक्सर और मधुबनी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इनके जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बैंकों से बातचीत कर साख-जमा अनुपात बढ़ाएँ।

(साभार : दैनिक जागरण, 5.5.2022)

जुलाई तक 75 जिलों में खुल जाएँगी डिजिटल बैंक इकाइयाँ : आईबीए

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के डीबीयू को बैंक केन्द्र माना जाएगा और हरेक इकाई का कारोबार शुरू करने एवं समेटने से संबंधित प्रावधान अलग-अलग रखे जाने की जरूरत है। आईबीए के मुताबिक, डीबीयू का डिजिटल विस्तार करने के लिए प्रासंगिक नियमों के अनुरूप बैंकों के पास डिजिटल व्यापार सुविधाकर्ताओं। व्यापार संवाददाताओं को साथ जोड़ने का विकल्प भी होगा। आईबीए ने कहा, 'सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 10 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक ने जुलाई 2022 तक इन इकाइयों को चालू करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा था कि भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित किए जाएँगे। इसका मकसद डिजिटल बैंकिंग के लाभों को देश के कोने-कोने तक पहुँचाना है। डीबीयू के गठन का खाका तैयार करने के लिए आरबीआई के वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में आरबीआई, चुनिंदा बैंकों और आईबीए के वरिष्ठ अधिकारियों भी शामिल थे।

समिति की मदद के लिए आईबीए के मुख्य कार्यपालक सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक कार्य-समूह बनाया गया। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 6.5.2022)**

नये ईंट-भट्ठों की स्थापना के संबंध में अति-आवश्यक सूचना

राज्य में नये ईंट-भट्ठों की स्थापना के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-140 दिनांक 22 फरवरी, 2022 के आलोक में बिहार राज्य की परिसीमा में नये ईंट-भट्ठों की स्थापना हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17/25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17/21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य पर्षद् द्वारा अधिसूचना संख्या-11, दिनांक 23.03.2022 निर्गत किया गया है, तथा नये मानदंड निर्धारित किये गये हैं जिनका अनुपालन करना अनिवार्य है:-

1. ईंट-भट्ठें की स्थापना/निर्माण कार्य पूर्णत: स्वच्छतर तकनीक (जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट) पर आधारित एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा;
2. एक ईंट-भट्ठा से दूसरे ईंट-भट्ठा की न्यूनतम दूरी 01 किलोमीटर होगी;
3. ईंट-भट्ठा की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल की दूरी आबादी, सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/हॉस्पीटल/नर्सिंग होम, न्यायालय, सरकारी कार्यालय एवं फलदार बगीचा (Orchard) से कम से कम 800 मीटर होगी;
4. रेल-लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य उच्च-पथ से ईंट-भट्ठा के प्रस्तावित स्थल की न्यूनतम दूरी 200 मीटर होनी चाहिए। 4-लेन अथवा इससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से न्यूनतम दूरी 300 मीटर होगी;
5. प्रस्तावित स्थल से नदी / प्राकृतिक जल-स्रोत / डैम / वेट-लैण्ड की न्यूनतम दूरी 500 मीटर होगी;
6. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा घोषित अतिदोहित (Over exploited) / गंभीर (Critical) / अर्ध-गंभीर (Semi-Critical) क्षेत्रों में नये ईंट-भट्ठे की स्थापना को वर्जित किया गया है;
7. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ईंट-भट्ठा इकाई से उत्सर्जन की निगरानी हेतु चिमनी में पोर्ट-हॉल एवं प्लेटफार्म की स्थापना करना अनिवार्य होगा;
8. ईंट-भट्ठों के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित ईंधनों यथा-कोयला, ईंधन-लकड़ी (Fuel Wood), कृषि अपशिष्ट एवं पाइप्ड प्राकृतिक गैस (Piped Natural Gas) का ही अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा;
9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन्य-जीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान / व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित इको-सेंन्सीटिव जोन (क्षेत्र) में ईंट-भट्ठा संचालन / गतिविधि पूर्णत: वर्जित है;

एतद् द्वारा बिहार राज्य की परिसीमा में नया ईंट-भट्ठा स्थापित करने को इच्छुक उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाले प्रस्तावित स्थल के लिए ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के ऑनलाइन सहमति प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणाली (OCMMS) के माध्यम से स:शुल्क स्थापनार्थ सहमति हेतु आवेदन समर्पित किया जाना चाहिए। उक्त मापदंड का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राज्य पर्षद् में प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जमा किये गये सहमति शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी आवेदक की होगी।

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना- 800 010
दूरभाष नं. : 0612-2261250/2262265, फैक्स : 0612-2261050
ई-मेल : msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट : http://bspcb.bihar.gov.in

(साभार : प्रभात खबर, 29.4.2022)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

ई-इनवॉइस

व्यापार को सरल बनाने की दिशा में एक और कदम

पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में रू 20 करोड़ से अधिक के सकल वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं* के लिए, माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की B2Bआपूर्ति अथवा निर्यात हेतु, ई-इनवॉइस बनाना अनिवार्य है।

ई-इनवॉइस पर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा दिया गया विशिष्ट इनवॉइस रेफेरेंस नंबर होता है।

ई-इनवॉइस के लाभ

- एक समान मानक
- जीएसटी पोर्टल को स्वत: रिपोर्टिंग
- ई-वे बिल का स्वत: जनरेशन
- अनुपालन का कम भार
- प्रतिलेखन (Transcriptional) त्रुटियों में कमी
- इनवॉइस का निर्बाध हस्तातरण
- स्वत : पॉपुलेटेड जीएसटी रिटर्न
- कम कागजी कार्रवाई

***कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर**

अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना सं. 13/2020- केन्द्रीय कर दिनांक 21.3.2020(समय-समय पर यथा संशोधित), अंतिम सशोधन अधिसूचना सं. 1/2022 - केन्द्रीय कर दिनांक 24.2.2022 को देखें।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.5.2022)

आरबीआई के फैसले से लोन होगा महँगा पर एफडी पर मिलेगा अधिक ब्याज

बैंक दरों में बढ़ोतरी के आरबीआइ के फैसले से मकान और आटो खरीदना भले ही महँगा हो जाएगा, लेकिन बैंकों की जमा राशि पर पहले के मुकाबले अधिक ब्याज मिलेगा। खासकर फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) पर अब पहले के मुकाबले अधिक ब्याज मिलेगा।

वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक लोन की ब्याज दरें बढ़ना बैंक ग्राहकों को लंबी अवधि के लिए जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी एफडी पर 2.75 प्रतिशत से लेकर 5.9 प्रतिशत तक विभिन्न बैंकों में ब्याज मिलता है। यह एफडी की अवधि पर निर्भर करता है।

बैंक विशेषज्ञों के मुताबिक अब एफडी पर निश्चित रूप से वर्तमान दर से अधिक ब्याज मिलेगा। हालांकि लोन महँगा होगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.5.2022)

CENTRAL BANK OF INDIA TO CLOSE 13% OF ITS BRANCHES

Central Bank of India, a state-owned commercial bank, plans to shut 13% of its branches to improve its -financial health, which has been under pressure for several years, according to sources and a document seen by Reuters.

The bank is looking to reduce the number of branches by 600 by either shutting down or merging loss-making branches by the end of March 2023. according to the copy of a document reviewed by Reuters. **(Details : Hindustan Times, 6.5.2022)**

GOVT PLANS TO CUT TAXES ON EDIBLE OILS TO COOL OFF PRICES

The government is planning to cut taxes on some edible oils to cool the domestic market after the war in Ukraine and Indonesia's ban on palm oil exports sent prices skyrocketing, according to people familiar with the matter.

(Details : Hindustan Times, 6.5.2022)

आरबीआई की रेपो दर

4 मई, 2022	4.40 %	7 अगस्त, 2019	5.40 %
22 मई, 2020	4.00 %	6 जून, 2019	5.75 %
27 मार्च, 2020	4.40 %	28 जनवरी, 2014	8.00 %
6 फरवरी, 2020	5.15 %		

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.5.2022)

रेपो दर बढ़ने से बैंकों की ऋण वृद्धि पर पड़ेगा असर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत ब्याज दर में अचानक वृद्धि करने से बैंकों में 11 फीसदी दर से बढ़ रही ऋण वृद्धि पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने जारी एक रिपोर्ट में कहा कि ऋण वृद्धि में तेजी का समर्थन करने वाले उद्योग और सेवा क्षेत्रों से आने वाली मांग का हिस्सा बने रहेंगे जबकि कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि के स्थिर रहने और खुदरा क्षेत्र में कम होने का अनुमान है। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 6.5.2022)**

210 मेगावाट हाइब्रिड बिजली खरीदेंगी बिजली कंपनियाँ

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों को पीक आवर में उपयोग के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसइसीआइ) से 210 मेगावाट गैर परंपरगत बिजली खरीद की मंजूरी दे दी है। यह हाइब्रिड (सौर-हाइड्रो) बिजली 6.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों की लंबी अवधि के लिए उपलब्ध होगी। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद निर्णय देते हुए आयोग ने कहा कि कंपनियाँ अतिरिक्त अनुबंधित पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं पर बिजली खरीद लागत के बोझ को कम करने के उपलब्ध सभी रास्ते तलाशेगा।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दी मंजूरी

- कुल खपत का 17 फीसदी गैर परंपरागत ऊर्जा का होना जरूरी
- पीक आवर में 6.12 रुपये यूनिट की दर से बिजली मिलेगी

ऑफ-पीक आवर में काफी सस्ती होगी बिजली : आयोग के मुताबिक समझौते के तहत कंपनियों को पीक आवर में भले ही 6.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी, लेकिन ऑफ-पीक आवर में यह मात्र 2.88 रुपये प्रति यूनिट में उपलब्ध होगी। पीक आवर सुबह चार घंटे (5.30 से 9.30) और शाम सात घंटे (शाम 5.30 से रात 12.30 बजे) निर्धारित होगा। इसके अलावा बाकी समय ऑफ पीक आवर में रखा जायेगा।

पूरा किया जायेगा आरपीओ का लक्ष्य : गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार अभी काफी पीछे है। नियमानुसार राज्य की कुल खपत का 17 फीसदी गैर परंपरागत ऊर्जा का होना जरूरी है। लेकिन, बिहार को इस मानक से काफी पीछे होने पर हर्जाना भी भरना पड़ता है। इसकी पूर्ति के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से खरीद के साथ ही राज्य में भी कजरा में 200 मेगावाट और पीरपैंती में 250 मेगावाट सौर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इन प्रयासों से राज्य के औद्योगिकरण में सहायता मिलेगी ही, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 6.5.2022)**

नालंदा के लोग सरकार को बेच रहे सोलर सिस्टम से तैयार बिजली, हर माह दो लाख रुपये की कमाई

नालंदा जिले में अब सौर ऊर्जा प्लांट लोगों की कमाई का जरिया बनता जा रहा है। जरूरत की बिजली उपभोग करने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली बेच कर नालंदा के कई लोग प्रतिमाह हजारों रुपये कमा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में जहाँ बिजली सप्लाइ बाधित होने लगी है, ऐसे में नालंदा के सरकारी व निजी भवनों की छतों पर लगे सौर ऊर्जा प्लांट से तैयार बिजली बहुत बड़ी राहत दे रही है। जिले में 250 सरकारी भवनों और 132 निजी मकानों की छतों पर लगाये गये सौर ऊर्जा प्लांट से हर दिन 2176 यूनिट बिजली तैयार हो रही है। इससे प्रतिमाह करीब 3.91 लाख रुपये की बिजली बिल की बचत होती है। इतना ही नहीं, जिले के 120 लोग ऐसे हैं, जो सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली का उपभोग करने के बाद बची करीब दो लाख रुपये की अतिरिक्त बिजली हर महीने बिजली कंपनी को बेच रहे हैं। ये सौर ऊर्जा प्लांट जल-जीवन- हरियाली, अक्षय ऊर्जा व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाये गये हैं। इन सौर ऊर्जा प्लांटों पर 22.59 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इन प्लांटों से 20 से 25 वर्ष तक बिजली उत्पादन होगा। इसके देखरेख की जिम्मेदारी पाँच वर्ष तक ब्रेडा को दी गयी है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 6.5.2022)

लैंड यूज चेंज की कॉमर्शियल फीस नहीं ले पायेंगे एसडीओ

ग्रामीण इलाकों में सड़क अथवा कॉमर्शियल एरिया में आने वाली कृषि भूमि के लैंड यूज चेंज की कॉमर्शियल फीस अब निवेशकों या आम लोगों को नहीं देनी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनुमंडल पदाधिकारियों की इस मनमानी पर रोक लगा दी है। विभाग को विभिन्न स्तर पर शिकायत मिली थी कि कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में संपरिवर्तन (लैंड यूज चेंज) के मामलों में कृषि भूमि से इतर किस्म की भूमि का भी बाजार मूल्य का 10 फीसदी लैंड यूज चेंज फीस ली जा रही है। यह नियम जिला स्तर पर ही बना रखा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव ने उद्योग विभाग के पत्र पर संज्ञान लेते हुए। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।

राजस्व विभाग ने ऐसे निकाला मध्यमार्ग : ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का आवासीय या व्यावसायिक प्रयोग करने के लिए उस भूमि का उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज) कराना पड़ता है। इसके लिए एसडीओ कार्यालय में कृषि भूमि के मूल्य का 10 फीसदी शुल्क देना होता है। एसडीओ लैंड यूज प्रमाणपत्र जारी कर देता है। इसी प्रमाणपत्र के आधार बैंक आदि आवास अथवा व्यावसायिक गतिविधि के लिए लोन देते हैं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क किनारे की भूमि को व्यावसायिक अथवा आवासीय भूमि घोषित कर दिया गया है। इस कारण इस कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क, सर्किल रेट आदि व्यावसायिक दर पर लिया जाता है।

क्या है कृषि भूमि व बाजार मूल्य का मतलब : गैर कृषि प्रयोजनों के लिए लैंड यूज के लिए कृषि भूमि को परिभाषित भी किया है। बिहार कृषि भूमि अधिनियम 2010 की धारा 2 (क) के तहत कृषि भूमि का आशय कृषि एवं कृषि से जुड़े क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त भूमि से है। वहीं बाजार मूल्य से आशय भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के प्रावधानों के अधीन जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया कृषि भूमि का मूल्य है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 6.5.2022)**

दो सौ रुपये में करा सकते सोने के चार गहनों की शुद्धता जाँच

• देश के 32 जिलों में जाँच के लिए हुई एएचसी की स्थापना • पाँचवें गहने की जाँच के लिए देने होंगे अतिरिक्त 45 रुपये

असेइंग एण्ड हालमार्किंग केन्द्र (एएचसी) में सामान्य लोग भी अपने सोने के जेवरात की शुद्धता की जाँच करा सकते हैं। जाँच के लिए चार आभूषण पर दो सौ रुपये शुल्क देना होगा। पाँच या इससे ज्यादा गहने के लिए प्रति पीस 45 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। देश के 32 जिलों में एएचसी की स्थापना की गई है, जिनमें 13 जिले बिहार के हैं। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास, भोजपुर, गया, बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, नालंदा, सारण, भागलपुर, नवादा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मुंगेर शामिल हैं। ये जानकारी जनसंपर्क विभाग के पटना शाखा कार्यालय प्रमुख एसके गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सोने के आभूषण व कलाकृतियों की हालमार्किंग के दूसरे चरण की अधिसूचना चार अप्रैल को लागू कर दी गई। इसका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया। इसके तहत 20, 23 और 24 कैरेट गोल्ड की हालमार्किंग की जा रही है। देश में 32 नए ऐसे जिले हैं, जहाँ एएचसी की स्थापना की गई है। इन जिलों की सूची बीआइएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एक सामान्य उपभोक्ता किसी भी एएचसी में अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जाँच करा सकते हैं। एएचसी प्राथमिकता के आधार पर सामान्य उपभोक्ताओं के सोने के गहनों का परीक्षण करेगा और रिपोर्ट देगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 6.5.2022)**

महिला उद्योग संघ उद्यमियों के लिए तैयार कर रहा डायरेक्ट्री

महिला उद्योग संघ अगले महीने महिला उद्यमियों के नाम और नंबर के साथ एक डायरेक्ट्री जारी करने जा रहा है। संघ की अध्यक्ष उषा झा ने बताया कि संघ से बड़े और छोटे हर जिले से महिला उद्यमी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस डायरेक्ट्री की मदद से इसमें शामिल उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके

जरिये उनसे लोग संपर्क कर उनके उत्पाद ले सकेंगे। डायरेक्ट्री में 300 महिला उद्यमियों के नाम, नंबर और उनकी खासियत के बारे में चर्चा होगी। डायरेक्ट्री को अगले महीने विमोचित किया जायेगा। शुरुआत में ऑल इंडिया से जुडे कॉरपोरेट हाउस और अन्य जगहों पर देंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 6.5.2022)**

सीतामढ़ी, मुंगेर में 1 से हॉलमार्किंग जरूरी

सीतामढ़ी और मुंगेर जिला में सोने के हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री 1 जून से अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल को दिए गए आदेश के आलोक में भारत मानक ब्यूरो ने अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 20, 23व 24 कैरेट के सोने के आभूषणों की भी हॉलमार्किंग करायी जा सकेगी। बीआईएस ने 23 जून 2021 को पहले चरण के तहत 12 जिलों में आभूषणों के अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की गई थी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.5.2022)**

पटना से गुवाहाटी के बीच नई विमान सेवा शुरू हुई

• नई विमानन कंपनी फ्लाई बिग ने शुरू की यह सेवा • दोनों शहरों के बीच शुरू हुई है यह तीसरी फ्लाइट

देश की सबसे नई विमानन कंपनी फ्लाई बिग ने पटना-गुवाहाटी-पटना रूट पर नई विमान सेवा शुरू की है। रविवार से इस विमान सेवा की विधिवत शुरूआत हुई। इस मौके पर पटना एयरपोर्ट पर नई फ्लाइट से गुवाहाटी से पटना आने वाले यात्रियों का स्वागत वॉटर सैल्यूट देकर किया गया। फ्लाई बिग की यह विमान सेवा प्रतिदिन सुबह 8.20 बजे गुवाहाटी से पटना एयरपोर्ट पहुँचेगी और यहाँ से 8.40 बजे वापस गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेगी। यह विमान सेवा हर दिन उपलब्ध होगी। इस मौके पर एयरपोर्ट निदेशक बीसीएच नेगी ने कहा कि शीघ्र ही पटना से गुवाहाटी के रुपसी एवं त्रिपुरा के अगरतल्ला एयरपोर्ट के लिए विमान सेवा की शुरूआत की जा सकती है। यह विमान सेवा इसी की कड़ी है। उन्होंने कहा कि अब पटना से गुवाहाटी के लिए तीन सीधी फ्लाइटें हो गई हैं। पहले से इंडिगो एवं स्पाइस जेट की गुवाहाटी पटना सीधी विमान सेवा है।

उन्होंने कहा कि इस विमान सेवा के शुरू होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मौके पर संयुक्त महाप्रबंधक गणपति दास, उप महाप्रबंधक संतोष कुमार के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी व विमानन कंपनियों के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 3.5.2022)**

रेलवे स्टेशन शॉपिंग, मीटिंग व सैर के लिए भी होंगे इस्तेमाल

• बिजनेस हब, मीटिंग और आराम की सुविधा मिलेगी • नॉन सबअर्बन ग्रुप में 3 कैटेगरी, टूरिस्ट महत्व के स्टेशन शामिल

जल्द ही देशभर के रेलवे स्टेशन नए रंग-रूप में नजर आएँगे। आने वाले दिनों में स्टेशन सिर्फ यात्रियों के आने-जाने की जगह नहीं होंगे। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों को सिटी शॉपिंग सेंटर, मीटिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है, जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होंगी। साथ ही शहर के लोगों को घूमने-फिरने के लिए एक आकर्षक जगह भी मिलेगी। रेलवे बोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश चौधरी और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग नीरज शर्मा ने 4 मई को इस संबंध में सभी जोन के जीएम को पत्र लिखा है। देश भर के रेलवे स्टेशनों के कालाकल्प का दौर जारी है। पहले भी रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर दुकानों के संचालन की अनुमति दी थी पर अब नए सिरे से रेलवे को डेवलप करने के लिए नई कार्य योजना जारी की गई है।

रेलवे बोर्ड ने 4 मई को देश के सभी जोनल रेलवे के जीएम को पत्र लिखकर रेलवे स्टेशनों का नए सिरे से विकास करने के लिए तय की गई कार्ययोजना की जानकारी दी है। बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चार कैटेगरी तय कर दी है, इसके आधार पर ही अब स्टेशनों का विकास किया जाना है। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने डिवीजनल और जोनल मुख्यालय के स्टेशनों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। वहीं, जोनल मुख्यालय की अनुशंसा पर स्थानीय महत्व वाले स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा। इसके लिए स्टेशनों के आसपास मौजूद टूरिस्ट स्पॉट और धार्मिक महत्व वाले स्थानों के आधार पर अनुशंसा की जाएगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 6.5.2022)**

निबंधित कारखानों में आठ घंटे से अधिक काम कराया तो देना होगा दोगुना वेतन

एक सप्ताह में 48 घंटे ही काम करेंगे कामगार

राज्य के निबंधित कल-कारखानों में आठ घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को अब दोगुना वेतन देना होगा। इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बना दी है। इस निर्णय का लाभ राज्यभर के निबंधित आठ हजार से अधिक कारखानों के दो लाख से अधिक कामगारों को होगा। पूर्व में ओवरटाइम के नाम पर कामगारों से काम लिया जाता रहा है, लेकिन उस ओवरटाइम का पैसा घंटा के मुताबिक दिया जाता था।

नयी नियमावली में यह साफ किया गया है कि आठ घंटे से अधिक काम कराने पर कारखाना मालिक को कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा। विभाग ने कामगारों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनायी है। इसके तहत तय किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाये। एक कामगार से अधिकतम आठ घंटे ही काम लिया जायेगा। इस तरह सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिला कर कामगार से अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 5.5.2022)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त्ते विनियमन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं हेतु नियोजक/संवेदक द्वारा निम्नलिखित उपाय/ व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है:-

- शोर या कम्पन के बुरे प्रभावों से सरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय।
- अग्निशामक उपस्कर एवं इसे चलाने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति की पर्याप्त व्यवस्था।
- भवन कर्मकारों के लिए निर्धारित भार की अधिकतम सीमा (यथा, वयस्क पुरुष-55 कि. ग्रा. वयस्क स्त्री-30 कि. ग्रा.) का अनुपालन।
- फिसलने डूबने और गिरने संबंधी परिसंकट से बचाव की समुचित व्यवस्था।
- सुरक्षा जाल, मेडिकल किट की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कर्मकारों के लिए सुरक्षा हेल्मेट, सुरक्षा बेल्ट, वाटर प्रूफ जूतों, वाटर प्रूफ कोट, दस्तानों आदि की व्यवस्था।
- विद्युत लाईन में कार्य करने हेतु विद्युत रोधी संरक्षक दस्तानों और जूतों की व्यवस्था।
- आपातकालीन परिसंकटों (यथा अग्नि विस्फोट, गैस रिसाव, शॉर्ट-सर्किट, प्राकृतिक आपदा आदि) तथा हानिप्रद पर्यावरण (यथा धूल, धूम, जहरीली गैस आदि) से निपटने हेतु समुचित व्यवस्था।
- निर्माण स्थलों पर शुद्ध पेयजल, समुचित प्रकाश, शौचालय (महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग) पालना घर (50 या उससे अधिक महिला निर्माण कामगार वाले स्थल पर) आदि की व्यवस्था।
- निर्माण कार्य के घंटे, विराम अन्तराल, साप्ताहिक छुटटी आदि मानकों का अनुपालन।
- विभिन्न श्रम अधिनियमों / नियमावली का अनुपालन एवं तदनुसार निर्माण स्थल पर विधिवत् सूचनाएँ, रजिस्टर, अभिलेख, आंकड़ों आदि का संधारण।

सचिव (बोर्ड)

नोट : विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय श्रम कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा बोर्ड के पोर्टल www.bocw.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.5.2022)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रूपये से अधिक की नकद जमा एवं निकासी करने पर आधार-पैन को अनिवार्य बना दिया है। इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या G.S.R. 346 (E) दिनांक 10 मई 2022 की प्रति आपकी सूचनार्थ उद्धृत है:-

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th May, 2022

G. S. R. 346(E).— In exercise of the powers conferred by clause (vii) of sub-section (1), sub-section(6A) of section 139A, and clause (ab) *of* Explanation to the said section read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax **(Fifteenth Amendment)** Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force after the expiry of fifteen days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules. 1962.—

(a) in rule 114, in sub-rule (3), after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(vii) in the case of a person who intends to enter into the transaction prescribed under clause (vii) of sub-section (1) of section 139A, at least seven days before the date on which he intends to enter into the said transaction.";

(b) after rule 114B, the following rule shall be inserted, namely:—

"114BA. Transactions for the purposes of clause (vii) of sub-section (1) of section 139A.— The following shall be the transactions for the purposes of clause (vii) of sub-section (1) of section 139A, namely:—

(a) cash deposit or deposits aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a Post Office;

(b) cash withdrawal or withdrawals aggre -gating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a Post Office;

(c) opening of a current account or cash credit account by a person with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a Post Office.";

(c) after rule 114BA, as so inserted by the Income-tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2022, the following rule shall be inserted after the expiry of sixty days from the date on which this notification is published in the Official Gazette, namely:—

"114BB. Transactions for the purposes of sub-section (6A) of section 139A and prescribed person for the purposes of clause (ab) of *Explanation* to section 139A.— (1) Every person shall, at the time of entering into a transaction specified in column (2) of the Table below, quote his permanent account number or Aadhaar number, as the case may be, in documents pertaining to such transaction, and every person specified in column (3) of the said Table, who receives such document, shall ensure that the said number has been duly quoted and authenticated—

2) The permanent account number or Aadhaar number alongwith demographic information or biometric information of an individual shall be submitted to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) with the approval of the Board, for the purposes of authentication referred to in section 139A.

(3) Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the formats and standards along with procedure for authentication of permanent account number or Aadhaar number.".

[Notification No. 53/2022/F.No. 370142/49/2020-TPL]
SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 343(E), dated the 09th May, 2022.

TABLE

Sl. No.	*Nature of transaction*	*Person*
1	*2*	*3*
1	Cash deposit or deposits aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with, — (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).
2	Cash withdrawal or withdrawals aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with, — (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regu-	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act,

Sl. No.	Nature of transaction	Person
1	2	3
	lation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).
3	Opening of a current account or cash credit account by a person with, — (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).

2) The permanent account number or Aadhaar number alongwith demographic information or biometric information of an individual shall be submitted to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) with the approval of the Board, for the purposes of authentication referred to in section 139A.

(3) Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the formats and standards along with procedure for authentication of permanent account number or Aadhaar number.".

[Notification No. 53/2022/F.No. 370142/49/2020-TPL]
SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 343(E), dated the 09th May, 2022.

राज्य में बंदी के कगार पर फ्लाई ऐश ईंट बनाने वालीं इकाइयाँ

• 01 हजार फ्लाई ऐश ईंट निर्माण यूनिट हैं बिहार में • 66 सौ के लगभग लाल ईंट मट्ठे हैं राज्य में • इकाइयों को कच्चा माल फ्लाई ऐश टोकन मनी से नहीं बल्कि नीलामी के आधार पर मिलेगा

राज्य में फ्लाई ऐश ईंट निर्माण इकाइयों को फ्लाई ऐश (राख) मिलने में परेशानी हो रही है। इसके कारण कई फ्लाई ऐश ईट निर्माण इकाई बंद हो गई है तो कई बंदी के कगार पर है। पहले जो फ्लाई ऐश एक रुपये टन की टोकन राशि पर निर्माण इकाइयों को प्राप्त होती थी, नए प्रावधानों के तहत अब उसी फ्लाई ऐश के लिए निर्माण इकाइयों को नीलामी प्रतियोगिता में शामिल होना होगा। बिहार में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोशन (एनटीपीसी) बरौनी, कहलगाँव, बाढ़ और कांटी से फ्लाई ऐश, ईंट निर्माण इकाइयों को प्राप्त होती थी। नए प्रावधानों के तहत एनटीपीसी बरौनी ने दो माह पहले फ्लाई ऐश देना बंद कर दिया। 19 मई से एनटीपीसी कहलगाँव और मई अंत तक एनटीपीसी बाढ़ से भी फ्लाई ऐश ईंट निर्माण इकाइयों को मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में निर्माण इकाइयों को फ्लाई ऐश ऊँचे दामों पर खरीदना होगा। इससे फ्लाई ऐश ईंट उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और बाजार में इनका टिकना मुश्किल हो जाएगा।

राज्य में लगभग एक हजार फ्लाई ऐश ईंट निर्माण इकाई हैं। इनकी स्थापना में 50 लाख से 6 करोड़ तक की पूंजी लगी है। बिहार फ्लाई ऐश ब्रिक्स एसोसिएशन (बीएफएबीए) के महासचिव विकास कुमार सिंह कहते हैं कि लगभग 90 प्रतिशत इकाइयों की स्थापना बैंकों से कर्ज लेकर की गयी है। नए प्रावधान लागू होने के बाद बैंक को ईएमआई देने में परेशानी होगी। लागत तक निकालना मुश्किल हो जाएगा। अभी ही मांग कम होने से उत्तरी बिहार में ढाई सौ फ्लाई ऐश ईंट इकाइयों में डेढ़ सौ से ज्यादा बंद हो चुकी हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.5.2022)

सर्विस-मैन्यूफैक्चरिंग में वृद्धि का असर, बढ़ने लगे रोजगार

चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले महीने में निर्यात से लेकर सर्विस और मेन्यूफैक्चरिंग के बेहतर प्रदर्शन का असर रोजगार सृजन पर दिखने लगा है। पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में देश में विभिन्न सेक्टर की 54 प्रतिशत कंपनियां नई भर्ती कर सकती हैं जो पिछली छह तिमाही में सबसे अधिक है। नई भर्तियों के रुख में लगातार मजबूती दिखाई दे रही है। इस साल जनवरी-मार्च में 50 प्रतिशत तो पिछले साल अक्टूबर-दिसम्बर में 41 प्रतिशत कंपनियों ने नई भर्ती का इरादा जाहिर किया था।

क्यों बढ़ रहे हैं रोजगार : इस साल अप्रैल में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। एसएंडपी ग्लोबल के मुताबिक अप्रैल में सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआइ) बढ़कर 57.9 हो गया। पिछले साल नवम्बर के बाद सेवा सेक्टर का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अप्रैल में मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआइ भी 54.7 रहा। यही वजह है कि रोजगार में बढ़ोत्तरी दिख रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक महँगाई और वैश्विक स्तर पर उथल -पुथल के बावजूद आइएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारत चालू वित्त वर्ष 22-23 में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश होगा। इसलिए कपनियाँ नई भर्ती पर जोर दे रही है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.5.2022)

सहरसा-लहेरियासराय के बीच तीन जोड़ी ट्रेन

भूकंप के बाद बंद रूट को ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर 88 साल बाद ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। आठ मई से सहरसा-लहेरियासराय अप डाउन तीन जोड़ी डेमू स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन के चलने से कोसी और मिथिलांचल की लाखों की आबादी को फायदा होगा। कम खर्च पर निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा और लहेरियासराय की दूरी तय होगी। पाँच घंटे 45 मिनट में डेमू स्पेशल ट्रेन से यात्री लहेरियासराय से सहरसा पहुँच जाएंगे। साढ़े पाँच घंटे में दरभंगा से सहरसा का सफर पूरा होगा। तीन घंटे 42 मिनट में झंझारपुर से सहरसा लोग पहुँच जाएंगे। चार घंटे 23 मिनट में दरभंगा से सुपौल का सफर तय होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.5.2022)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296